संख्या-36/2017/1914 ई-2/तेरह-2017-61/2017

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 29 अगस्त,2017

विषय:-रमा सिंघल होटल्स (द ओपल), दुर्गनगला तहसील सदर जनपद रामपुर को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-263/एफ0एल0-6/बार अनुज्ञापन/रामपुर/दिनांक 13 जून,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 13-06-2017 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-189/दस-लाइसेंस-70/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/रामपुर, दिनांक 14 जुलाई,2017 तथा पत्र संख्या-जी-195/दस-लाइसेंस-70/एफ0एल0 6-7/बार अनु0/रामपुर, दिनांक 03 अगस्त,2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त रमा सिंघल होटल्स (द ओपल), दुर्गनगला तहसील सदर जनपद रामपुर को वर्ष 2017-18 के लिये एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-36 /2017/1921(1) ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-189/दस-लाइसेंस-70/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/रामपुर, दिनांक 14 जुलाई,2017 तथा पत्र संख्या-जी-195/दस-लाइसेंस-70/एफ0एल0 6-7/बार अनु0/रामपुर, दिनांक 03 अगस्त,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।